

सेवामें,

श्रीमान् प्रधान मुख्य संरक्षक,  
राजस्थान जयपुर

विषय:- ईडीएस नंबर : F14(Road)2017/FCA/PCCF/CCFEDS-I Jaipur dated 15.02.2018 के क्रम में।

सडक का नाम :-नाल (सोमावत) से डूंगरा, प्रस्ताव संख्या :- FP/RJ/ROAD/20390/2016 दिनांक 07.07.2017

आपके द्वारा ईडीएस में लगाये गये आक्षेप के नियमानुसार पूर्ति की जा रही है।

क्र.सं.	विवरण	प्रत्युतर
1	प्रस्ताव के पार्ट I के बिन्दु संख्या B-2.1 में यूजर ऐजेन्सी के स्वीकृत/अस्वीकृत /प्रक्रियाधीन प्रकरणों की अद्यतन सूची संलग्न नहीं की गई हैं।	कोई प्रकरण पूर्व में आवेदित नहीं है।
2	प्रस्ताव में प्रस्तुत प्रस्तावित सडक में वन सीमा का सीमांकन उप वन संरक्षक द्वारा प्रस्तुत वनखण्ड की KML File अनुसार नहीं है जिसका परीक्षण किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावित सडक वन सीमा के अनुरूप परीक्षण कर मार्क कर दी गई है।
3	प्रस्ताव में एरिया केलकुलेशन शीट अनुसार प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल 1.6260 हैक्टर है जबकि 1.63 है. वन भूमि के प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उक्त में एकरूपता ली जानी प्रस्तावित है।	पूर्ति कर संलग्न कर दिया है।
4	प्रस्ताव के पार्ट I के बिन्दु संख्या C-b(ii) में संलग्न KML File सेगमेंट वाइज संलग्न की जानी प्रस्तावित है।	KML File सेगमेंट वाइज संलग्न कर दी गई है।
5	प्रस्ताव के पार्ट I के बिन्दु संख्या C-(iii) में संलग्न GT Sheet Scale 1:50000 में नहीं है। प्रस्तावित सडक के पूर्ण एलायमेंट में वन सीमा, चेनऐज का अंकन मय अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय शीर्षक एवं तालिका संलग्न होना प्रस्तावित है।	पूर्ति कर दी गई है।
6	बिन्दु संख्या 7 की पालना अपूर्ण। प्रस्ताव के पार्ट I के बिन्दु संख्या C-(iii) में संलग्न DGPS map में प्रस्तावित सडक का पूर्ण एलायमेंट जिसमें वन सीमा, चेनऐज एवं प्रस्तावित वन भूमि के सभी कानर्स के GPS Coordinates का अंकन किया गया हो, एवं अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय शीर्षक एवं तालिका संलग्न होना प्रस्तावित है।	पूर्ति कर दी गई है।

क्र.सं.	विवरण	प्रत्युत्तर
7	बिन्दु संख्या 8 की पालना नहीं। प्रस्ताव के पार्ट I के बिन्दु संख्या D में यूजर एजेन्सी द्वारा 1980 से पूर्व का ट्रेक होने का अवगत कराया गया है इस संबंध में उप वन संरक्षक द्वारा कोई विकल्प नहीं होने का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।	उप वन संरक्षक से पूर्ति हेतु निवेदन किया गया है।
8	बिन्दु संख्या 10 की पालना अपूर्ण। प्रस्ताव के पार्ट I के बिन्दु संख्या L में यूजर एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित गैर वन भूमि के GT Sheet (Scale 1:50000) संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।	संलग्न कर दी गई है।
9	संलग्न बार चार्ट में प्रस्तावित सडक 0/440 से 1/790 वन क्षेत्र में पडना दर्शाया गया है जबकि वनाधिकार प्रमाण पत्र में 0/400 से 1/790 दर्शाया गया है उक्त भिन्नता को सुधारा जाना प्रस्तावित है।	पूर्ति कर दी गई है।
10	प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृतियां संलग्न नहीं है।	संलग्न कर दी गई है।
11	सडक के क्रॉस सेक्शन 6.00 मीटर (एक अन्य प्रस्ताव में 7.5 मीटर रखा गया है।) किन नियमों के आधार पर रखा गया है।	सामान्यतः भूमि की चौड़ाई 7.50 मीटर लिया जाना वांछित है, परंतु जहां भूमि का ढलान अधिक या अन्य कोई कारण हो तो न्यूनतम चौड़ाई 6.00 मीटर तक लिया जाना अनुमत है।
12	जमाबंदी एवं राजस्व मेप पर अंकन संलग्न नहीं है।	संलग्न कर दी गई है।
13	एरिया केलकुलेशन रिपोर्ट ग्रामवार/खसरावार/चेनऐजवार/सेगमेंट /लम्बाई चौड़ाई अनुसार दी जानी प्रस्तावित है।	पूर्ति कर दी गई है।
14	गैर वन भूमि से संबंधित आबंटन आदेश ऑनलाईन नहीं किये गये है।	पूर्ति कर दी गई है।
15	उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट II के बिन्दु संख्या 2 की पूर्ति नहीं की गई है।	उप वन संरक्षक से सम्बन्धित है।
16	उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट II में कोई वृक्ष का पातन नहीं है एवं इको क्लास 2 अंकित है जबकि उस क्षेत्र का वन इको क्लास 3 में पडता है उक्तानुसार संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।	उप वन संरक्षक से सम्बन्धित है।
17	उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट II के बिन्दु संख्या 5 की पूर्ति नहीं की गई है।	उप वन संरक्षक से सम्बन्धित है।
18	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना निर्धारित प्रपत्र में नहीं है।	उप वन संरक्षक से सम्बन्धित है।
19	उप वन संरक्षक द्वारा गजट नोटिफिकेशन की प्रति संलग्न नहीं की गई है।	उप वन संरक्षक से सम्बन्धित है।

क्र.सं.	विवरण	प्रत्युतर
20	मुख्य वन संरक्षक उदयपुर द्वारा ऑनलाईन पार्ट III संलग्न नहीं किया गया है।	मुख्य वन संरक्षक उदयपुर द्वारा पूर्ति की जाएगी।
21	प्रस्ताव में दो हार्ड प्रति प्रस्तुत की गई है जबकि तीन हार्ड प्रति जिनमें एक मूल प्रति ही प्रस्तुत की जानी प्रस्तावित है। उक्त प्रतियों पर उप वन संरक्षक के हस्ताक्षर नहीं है।	एक हार्ड प्रति संलग्न कर दिया गया है।

  
डॉ. एन. सिंह  
सहायक अभियन्ता  
सा.नि.वि. उपखण्ड ऋषभदेव